संख्याः-- / II--2018--04(05)/2012,

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग--2

देहरादून : दिनांक 08 जून, 2018

विषय : वित्तीय वर्ष 2018--19 में राज्य सैक्टर की बॉध/बैराज योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के रायपुर विधान सभा क्षेत्र में कंलगा नहर प्रणाली के सौंग हैड के सुदृढीकरण की निर्माणाधीन योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या--1720/प्र0अ0/बजट/बी-1 दिनांक 03 मई, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 337/II--2018--04(05)/2012 दिनांक 19 फरवरी, 2018 द्वारा स्वीकृत जनपद देहरादून के रायपुर विधान सभा क्षेत्र में कंलगा नहर प्रणाली के सौंग हैड का सुदृढीकरण एंव सौन्दर्यीकरण की योजना लागत रू0 342.68 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जाय। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।

(iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(v) जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

(vi) प्रमुख अभियन्ता आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0--10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(vii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

...2

(viii) कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ix) त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(x) आवंटित धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। यदि आवंटित धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि समर्पित होगी तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अभियन्ता का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(xi) धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–18–बांध/बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार–051–निमार्ण 02–अन्य रखरखाव व्यय–01–बांध/बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण/नहर/नलकूप/ जलटंकी पुनरोद्धार (47001880000203 से स्थानान्तरित)–24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/3(150)–2017/**XXVII** (1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 201 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

संख्याः–1094 (1)/।।–2018–04(05)/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
अनु सचिव।